पंजीकृत

9/10

कार्यालय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

~~निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर=302 005~~
निधि भवन, चित्रकूट नगर, भुवाणा उदयपुर

संख्या आर०जे०/ 12269 अनु०तृतीय/आवृति 669 to 672 दिनांक 10/04/03.

सेवा में,

श्री/मैसर्स G. R. Agarwal Builder & Developer Ltd,
80 A, Shahi Complex, Hiran Magri, Sec. II,
Udaipur पिन 313002.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाएं ।

मैसर्स G. R. Builder & Developers Ltd.
Udaipur पर लागू होगा ।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 10/4/03 को प्रेषित विवरण तथा आपकी स्थापना के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक .... को किये गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि : —

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मैसर्स G. R. Builders & Developers Ltd. .... Udaipur जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-I में शामिल Builders & Cons .... कार्य में लगी हुई हैं ।

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक 1/4/2003 को 21 .... व्यक्ति कार्यरत पाये गये ।

(ग) स्थापना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16(1) (डी) के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक .... को 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है । अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित विभिन्न योजनाएं, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय समस्त शाखाओं/विभागों पर, (चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं), दिनांक 1.4.2003 से स्थाई/अस्थाई रूप से लागू हैं, इसके अतिरिक्त स्थापना के पूर्व रिकार्ड की पूर्ण जांच अभी शेष है ।

~~अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... के संदर्भ में आपको स्थापना अर्थात् .... को कोड संख्या आर०जे०/ .... आवंटित किया जा रहा है । अभी स्थापना को अस्थायी रूप में दिनांक .... से अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त किया जा रहा है, जब तक केन्द्रीय भ०नि० आयुक्त द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की नहीं जाती है ।~~

10. यदि इस योजना को लागू करते समय फार्म सं. 9 में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजि भविष्य निधि योजना के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा कर चालान की तीसरी प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर देना चाहिए और (हस्तांतरित) की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्नक :

1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को लागू करने सम्बन्धित निर्देश।
2. लेखा संख्या आवंटित करने सम्बन्धित निर्देश।
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निर्देश।
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कर्मचारी पेंशन अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से सम्बन्धित रेडी रेकनर।
5. फार्म-5क (तीन प्रतियों में)

प्रतिलिपि :

श्री/श्रीमती ································ प्रवर्तन अधिकारी ························ को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म-5 क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त कर 15 दिवस में कार्यालय को अग्रेषित करें।

लेखा अनुभाग, उप क्षेत्रीय कार्यालय ···················· (यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बंधित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। इस शाखा द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाए)।

क्षति अनुभाग।

प्रवर्तन अनुभाग (पत्राचार प्रारम्भ करने हेतु)

कम्प्यूटर अनुभाग (सूचनार्थ एवं संस्थान मास्टर पूर्ण करने हेतु)

भंडार शाखा, अनुलग्नक क. 1 से 5 तक संस्थान को सीधे प्रेषित करने हेतु।

सहायक आयुक्त

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

10/7/03

Date: 09/11/2005

Reference No:RJ/UDR/APFC/AC/UDR03 /ESTCODE-12269/

To,

RJ/UDR/12269/
G.R. AGARWAL BUILDERS & DEVELOPERS LTD
80A,SHAHI COMPLEX
HIRAN MAGARI,SEC-11
UDAIPUR
UDAIPUR
313001

Subject: Mentioning Accounts Groupno on all correspondence
GrpNo (UDR/03 EstCode-12269/)

Sir,

We have to inform that your establisment account is being,
maintained in Account Group no UDR/03 .

We request you to mention this group number on all your ,
correspondence with this office,challans,returns and calims.

THIS MAY BE DONE BY AFFIXING A RUBBER STAMP IN BOLD LETTERS .
We request you to implement the same immediately.

This will help us serve you better.

I. I. Saiyed

I.I. Saiyed
(A.P.F.C Accounts)
Employees Provident Fund Organisation
Sub Regional Office,Chitracoot Nagar
Bhuwana, Udaipur
Ph:(0294)2441068,2513260

(This is computer generated letter,hence no signature required)

Email: srpfuda@raj.nic.in

Telephone No.
0294-2441068 PRO/जनसम्पर्क
0294 2441527, 2400257(क्षेत्रीय आयुक्त-II)
0294 2442282 फैक्स / FAX
0294-2442320 (सहायक आयुक्त)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम-मंत्रालय, भारत-सरकार)
(Ministry of Labour, Govt. of India)
उप-क्षेत्रीय कार्यालय / Sub-Regional office
चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर-313004
Chitrakut Nagar, Bhuwana, Udaipur-313004

Regd - AD

क्रमांक:- उक्षेका/उदय/अनु०/बारजे/12269/348/3056 दिनांक. 23.6.09
23.6.09

मै० जी० आर० इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि०
जी० आर० हाउस, सेक्टर-11
हिरण मगरी, उदयपुर (राज०)

विषय:- संस्थान का नाम परिवर्तन
RJ 12269

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थना-पत्र एवं इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर आपके संस्थान का नाम जी० आर० अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० से बदल कर "जी० आर० इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि०" कर दिया गया है। अब भविष्य में नये नाम से ही पत्र व्यवहार करें। कृपया ध्यान रहे कि नाम परिवर्तन से कर्म० भ० नि० एवं प्रकीर्ण अधि० 1952 की प्रायोज्यता पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अतः पूर्व कोड संख्या RJ/12269 के तहत अनुपालना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(हनुमान प्रसाद)
सहायक भ० नि० आयुक्त

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

SUB-REGIONAL OFFICE / उपक्षेत्रीय कार्यालय,

(Ministry of Labour, Govt. of India)

(श्रम–मंत्रालय, भारत–सरकार)

CHITRAKOOT NAGAR, BHUWANA, UDAIPUR-313 004 (RAJ)

कूट नगर, भुवाणा, उदयपुर 313 004 (राज0)

No. SRO/UDR/Enf/Rj/12269/5391 **Date:-20/08/2010**

To,

The Director,
M/s G R Infraprojects Ltd.,
G R House, Hiran Magri, Sec-11,
Udaipur, Rajasthan-313002.

Sub: Change of name of M/s G R Agrawal Builders & Developers Ltd., Udaipur, Raj. to M/s G R *Infraprojects Ltd., Udaipur, Raj. having* Code No. Rj/12269.

Ref:- Your Letter Dated 20/08/2010 for issuing a copy of change of name of Estt drafted in English..

Sir,

Please refer to your letter dated **03/09/2007**. In this connection it is informed to you that the name of the Estt. M/s **G R Agrawal Builders & Developers Ltd.**, Udaipur, Rajasthan, has been changed to M/s **G R Infraprojects Ltd**, Udaipur, Rajasthan, wef. 03/09/2007. You are directed to report compliance under the same code ie. Rj/12269 in the changed name from 03/09/2007 and submit all statutory return to the office.

Yours Faithfully

(Hanuman Prasad)
Assistant P.F. Commissioner

To,

1. **A/c Group- 1st, SRO, Udaipur for information and necessary action.**
2. **EDP Cell, SRO, Udaipur, for information and necessary action.**
3. **Sh. I. C. Vyas, EO, Udaipur, for information and necessary action.**
4. **Damages Cell, SRO, Udaipur for information and necessary action.**

Assistant P.F. Commissioner